

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- NHM/BHDS/189/2024-पी.पी.एल. - 102- /कृ०, पटना, दिनांक 05.10, 2026
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक
रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : राज्य स्कीम मद से बिहार 'आमोत्सव 2024' के आयोजन उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से बिहार 'आमोत्सव 2024' के आयोजन उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के बीच आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर राज्य में आम फसल की खेती तथा गुणवत्तायुक्त आम के उत्पादन को बढ़ावा देना, आम के नई किस्मों एवं तकनीकों से बागवानों को अवगत कराने के साथ-साथ आम के निर्यात तथा मूल्य संवर्धन के बारे में बागवानों को जानकारी देना है।
3. बिहार आमोत्सव 2024 का आयोजन माननीय राज्यपाल, बिहार के अनुमोदन के आलोक में दिनांक 15-16 जून 2024 को राजभवन, पटना में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के द्वारा किया गया था।
4. तत्कालीन सचिव, कृषि के द्वारा निदेशक उद्यान को बिहार आमोत्सव 2024 हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
5. बिहार आमोत्सव 2024 के आयोजन हेतु माननीय राज्यपाल, बिहार के द्वारा 60.00 लाख रुपये का अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें से 10.00 लाख रुपये पूर्व में उद्यान निदेशालय द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को हस्तांतरित की गई है।
6. आमोत्सव 2024 के सफल आयोजन हेतु माननीय राज्यपाल द्वारा 60.00 लाख रुपये व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, अनुमोदित व्यय विवरणी इस प्रकार है :-
 - i. स्टेज पंडाल, स्टाल, प्रादर्श प्रत्यक्षण, LED, होल्डिंग- ₹0 45,00,000.00
 - ii. चाय, नाश्ता, भोजन- ₹0 5,00,000.00
 - iii. भोजन हेतु राजभवन में पंडाल- ₹0 5,00,000.00
 - iv. अतिथियों के आवासन एवं यात्रा व्यय- ₹0 2,00,000.00
 - v. विविध खर्च- ₹0 3,00,000.00

7. स्वीकृत योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-1 के अनुरूप में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिवालय संभाग कृषि विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से सी.एफ.एम.एस. (CFMS 2.0) में विहित रीति से की जाएगी तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के पी.एल. खाता सं०- BGPPLA016 में अंतरित किया जाएगा।
8. महालेखाकार, बिहार, पटना को इस योजना हेतु अंकेक्षण का अधिकार होगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. योजना के सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। निदेशक उद्यान समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।
11. योजना कार्यान्वयन के क्रम में वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अंतरघटकीय संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
12. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)		
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्य योजना मद		
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-13-01-कार्यालय व्यय।	909.70	50.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401007890130, विषय शीर्ष 0101-13-01- कार्यालय व्यय।	176.00	-
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0101-13-01-कार्यालय व्यय।	14.30	-
कुल योग	1100.00	50.00

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-22.09.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या-NHM/BHDS/189/2024 के पृ०सं०-53/टि० पर दिनांक-01.10.2026 को प्राप्त है।
14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-NHM/BHDS/189/2024 के पृष्ठ संख्या-52/टि० दिनांक-30.09.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-670 दिनांक-30.09.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/189/2024— पी.पी.एन. - 102- /कृ०, पटना, दिनांक-05.10,2026
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/189/2024— पी.पी.एन. - 102- /कृ०, पटना, दिनांक-05.10,2026
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/189/2024— पी.पी.एन. - 102- /कृ०, पटना, दिनांक-05.10,2026
प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/189/2024— पी.पी.एन. - 102- /कृ०, पटना, दिनांक-05.10,2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान
आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण,
बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक,
उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित
पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/189/2024— पी.पी.एन. - 102- /कृ०, पटना, दिनांक-05.10,2026
प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर,
कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं
कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।





अनुसूची-1

दिनांक 15-16 जून 2024 को आयोजित बिहार 'आमोत्सव 2024' के आयोजन उपरांत
वित्तीय वर्ष 2026-27 में भुगतान करने हेतु राशि श्रेणिवार विवरणी।

(राशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग)
1	निदेशक उद्यान उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना (मुख्यालय)	50.00
Total		50.00

निदेशक उद्यान,
उद्यान निदेशालय, बिहार,
पटना।

(अभिषेक कुमार)